



## ● बीआरकेजीबी स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

1	उद्देश्य	लघु दस्तकारों, हाथकरघा बुनकरों, सेवा क्षेत्रों, मछुआरों/ स्वरोजगारियों, रिक्शा मालिकों, अन्य लघु उद्यमियों को व्यवसाय में स्थायी विनियोजन/कार्यशील पूंजी अथवा दोनों की आवश्यकता पूर्ति हेतु आर्थिक सुविधा प्रदान करना।
2	सीमा का निर्धारण	ऋण सीमा आवेदक की पुर्नभुगतान क्षमता व व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जावेगी।
3	कार्ड की अवधि	सुविधा 5 वर्ष के लिये जारी की जायेगी
4	मार्जिन:	ऋण हेतु मार्जिन शून्य होगा।
5	ऋयाज दर	समय समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार लागू होगी।
6	प्रतिभूतियां	स्वीकृत सुविधा से अर्जित आस्तियों/स्टॉक का दृष्टिबन्धन
7	प्रभार	समय समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार प्रभावी।
8	पुर्नभुगतान	i. आवधिक ऋण राशि 60 मासिक किस्तों में देय होगी। ii. नकद साख खातों में वर्ष के दौरान स्वीकृत सीमा एवं नामे किये गये ब्याज व प्रभारों के बराबर राशि जमा होनी चाहिए।